प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

सेवा में,

मा0 कन्सलटेंट जुडिशियल,
एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

संख्याः 3048/खनन अनुभाग/2024, दिनांकः 20 फरवरी ,2024

विषयः ओ0ए0 नं0–462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2023 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2023 में दिये गये आदेश का संज्ञान लेने की कृपा करें।

अवगत कराना है कि उक्त मु0अ0सं0–529/2023 दिनांक 24–11–2023 को खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–21 एंव भ0द0सं0 1860 की धारा–379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी थी जिसकी विवेचना उप निरीक्षक, थाना नवाबगंज द्वारा की जा रही है। अन्तरिम विवेचना दिनांक 15–02–2024 में अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री राजाराम का कोई पता नही चल पा रहा है, साथ ही मा0एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2023 के अनुपालन में बालू के नीलामी हेतु निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन मॉगा गया है, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही नीलामी की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

20/02/2024

अपर जिला मजिस्ट्रेट
गोण्डा।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1–निदेशक , भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ।
2–जिलाधिकारी गोण्डा ।
3–पुलिस अधीक्षक गोण्डा ।
4–सदस्य सचिव,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ।
5–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6–क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
गोण्डा।